भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3132
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015 को दिया गया)

<u>झूठी योजना वाली कंपनियां</u>

3132. डा. किरीट सोमैया :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने देश में 100 से अधिक बेनामी झूठी योजना कंपनियों की सूची प्रकाशित की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा अब तक ऐसी कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख): भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने 100 से अधिक बेनामी, जाली पोंजी स्कीम कंपनियों की ऐसी कोई सूची प्रकाशित नहीं की है।

(ग): चिट-फंड का नियमन चिट-फंड अधिनियम, 1982 के अंतर्गत किया जाता है और इसके लिए राज्य सरकारों की पूर्व स्वीकृति लेना अपेक्षित है। ईनामी चिट एवं धन परिचालन (पाबंदी) अधिनियम, 1978 राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जिसके अंतर्गत ईनामी चिट एवं धन परिचालन कार्यकलापों को निषेध किया गया है। सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11कक के अंतर्गत यथापरिभाषित सामूहिक निवेश स्कीमों (सीआईएस) का नियमन सेबी द्वारा किया

जाता है और इसने पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएस मामलों में 73 अंतरिम और 23 अंतिम आदेश पारित किए हैं।

*****